



The Uttar Pradesh Odyogik Shanti (Majdoori ka Yathasamay Sandaay)
Adhiniyam, 1978
Act 5 of 1978

Keyword(s):

Odoyogik Adhistan, Shram Aayukt, Adhista, Majdoori Vit, Majdoori, Majdoor, Labour, Labour Commissioner, Industrial Undertaking

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

157283

L. 11
15/78-5/4
Cap. 2विधान
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।]

औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के हित में, बड़े औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी का यथासमय संदाय और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 12 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2—इस अधिनियम में—

(क) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान से है जिसमें वस्तुयें प्रयोग, परिवहन या बिक्री के उद्देश्य से उत्पादित, प्रसंस्कृत, अनुकूलित या विनिर्मित की जाती हैं ;

(ख) "श्रम आयुक्त" में इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक श्रम आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी भी सम्मिलित हैं ;

(ग) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में, "अधिष्ठाता" का तात्पर्य ऐसे अधिष्ठान में नियोजित मजदूरों के नियोजक से है और इसमें उस स्थिति में, जहां नियोजक कम्पनी है, वहां प्रबन्ध निदेशक और जहां कोई फर्म है, वहां फर्म द्वारा इस निमित्त पदाभिहित मागीदार और किसी अन्य नियोजक की स्थिति में ऐसा कोई अधिकारी भी सम्मिलित है जिससे उसकी सम्मति से, नियोजक ने इस निमित्त पदाभिहित किया हो और जिसका नाम नियोजक द्वारा श्रम आयुक्त को बिहित प्रपत्र में बिहित दिनांक तक सूचित किया गया हो।

(घ) "मजदूरी बिल" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा अपने मजदूरों को देय मजदूरी की कुल धनराशि से है।

(ङ) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में दिया गया है ;

(च) "मजदूर" का वही अर्थ होगा जो उसे संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक श्रमकों का ऐक्ट, 1947 में दिया गया है ;

(छ) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता को मजदूरी संदाय में व्यतिक्रम करने वाला समझा जायगा यदि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 में उपबन्धित अवधि के भीतर ऐसी मजदूरी का भुगतान न किया गया हो।

3—(1) जहां श्रम आयुक्त का समाधान हो जाय कि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता ने मजदूरी के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जिस मजदूरी बिल के सम्बन्ध में ऐसे अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है वह पचास हजार रुपये से अधिक का है, वहां वह धारा 5 और 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने हस्ताक्षर से, सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा देय मजदूरी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेज सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि और उसके अतिरिक्त दस प्रतिशत की दर से वसूली खर्च, उस औद्योगिक अधिष्ठान से वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानों ऐसी धनराशि मू-राजस्व की बकाया हो।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खण्ड (क) देखिये।]

संक्षिप्त नाम और
विस्तार प्रारम्भ

परिभाषाएँ

कतिपय औद्योगिक
अधिष्ठानों में
मजदूरी की मू-
राजस्व की बकाया
की तरह वसूली

PRICE 15 PAISE

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूल की गई धनराशि, वसूली खर्च काटकर श्रम आयुक्त के व्ययन पर रख दी जायगी जो उसे उसके हकदार मजदूरों में बांटेगा या बंटवायेगा।

(4) जहाँ इस प्रकार वसूल की गई धनराशि ऐसे मजदूरी बिल से, जिसके सम्बन्ध में अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है, कम ठहरे, वहाँ श्रम आयुक्त मजदूरों के विभिन्न प्रवर्गों में मजदूरी का ऐसा अनुपात या क्रमिक अनुपात, जैसा वह ठीक समझे, बांटे जाने का प्रबन्ध करेगा।

(5) मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में प्रत्येक मजदूर के प्रति अधिष्ठाता अपने दायित्व से उस धनराशि की सीमा तक उन्मुक्त हो जायगा जिसका संदाय इस धारा के अधीन ऐसे मजदूर को कर दिया जाय।

श्रम आयुक्त की शक्तियाँ

4—किसी अधिष्ठान के मजदूरी बिल, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया गया है, को अभिनिश्चित करने के लिये श्रम आयुक्त को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर होने के लिये बाध्य करने, और शपथ पर उनका बयान लेने और दस्तावेजों को पेश करने के लिये बाध्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त है और श्रमायुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा।

शास्ति

5—(1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान का अधिष्ठाता किसी समय एक लाख रुपये से अधिक के किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा;

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसी अवधि के लिये, जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध

6—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दें कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मीनानुमति से किया गया है या उनकी ओर से कोई उपेक्षा के कारण हुआ है तो उस कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, निदेशक का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

7—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

8—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

9—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

उत्तर
अध्य
संख्या
1